

**सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय**  
मांग संख्या 76

**सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	3194.89	1426.15	4621.04	3209.85	1448.94	4658.79	3126.20	1567.42	4693.62	
पूंजी	2894.60	254.94	3149.54	3079.64	208.38	3288.02	3753.80	236.72	3990.52	
जोड़	<b>6089.49</b>	<b>1681.09</b>	<b>7770.58</b>	<b>6289.49</b>	<b>1657.32</b>	<b>7946.81</b>	<b>6880.00</b>	<b>1804.14</b>	<b>8684.14</b>	
सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	30.05	...	27.86	27.86	...	21.14	21.14	
2. बी आर डी बी सचिवालय	3451	...	15.70	...	15.38	15.38	...	18.31	18.31	
<b>सड़क परिवहन</b>										
3. प्रशिक्षण और अनुसंधान	3055	4.94	...	4.94	4.91	...	4.91	17.75	...	17.75
4. राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोलिंग योजना/ प्रदूषण यंत्र परीक्षण उपकरण	3601	5.40	...	5.40	5.43	...	5.43	12.25	...	12.25
<b>जोड़ सड़क परिवहन</b>		<b>10.34</b>	...	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>	...	<b>10.34</b>	<b>30.00</b>	...	<b>30.00</b>
5. सड़कें और पुल										
5.1 राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव	3054	1.00	749.04	750.04	13.60	727.46	741.06	1.00	801.00	802.00
5.2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूंजी परिव्यय	5054	2484.88	...	2484.88	2647.70	...	2647.70	3067.80	...	3067.80
जोड़		<b>2485.88</b>	<b>749.04</b>	<b>3234.92</b>	<b>2661.30</b>	<b>727.46</b>	<b>3388.76</b>	<b>3068.80</b>	<b>801.00</b>	<b>3869.80</b>
6. बी.आर.डी.बी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य										
6.1 बी आर डी बी के तहत सड़क कार्य	3601	...	469.71	469.71	...	509.08	509.08	...	534.57	534.57
6.2 बी आर डी बी के तहत कार्य	5054	30.00	254.94	284.94	50.00	208.38	258.38	45.00	236.72	281.72
6.3 अन्य कार्य	3054	...	69.65	69.65	...	77.16	77.16	...	85.40	85.40
जोड़		<b>30.00</b>	<b>794.30</b>	<b>824.30</b>	<b>50.00</b>	<b>794.62</b>	<b>844.62</b>	<b>45.00</b>	<b>856.69</b>	<b>901.69</b>
7. महत्वपूर्ण सड़कों के लिए राज्यों को अनुदान	3601	4.10	...	4.10	7.16	...	7.16	8.50	...	8.50
8. केन्द्रीय सड़क कोष से वित्तपोषित योजनाएं										
8.1 राज्यों को अनुदान	3601	923.00	...	923.00	350.00	...	350.00	944.84	...	944.84
8.2 अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	3601	98.00	...	98.00	15.00	...	15.00	95.00	...	95.00
घटाइए - वसूलियां	3601	-1021.00	...	-1021.00	-365.00	...	-365.00	-1039.84	...	-1039.84
8.3 संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	3602	39.00	...	39.00	17.07	...	17.07	29.24	...	29.24
8.4 अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	3602	2.00	...	2.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
घटाइए - वसूलियां	3602	-41.00	...	-41.00	-18.07	...	-18.07	-34.24	...	-34.24
8.5 विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अनुदान	3054	...	...	...	6.60	...	6.60	5.92	...	5.92
घटाइए - वसूलियां	3054	...	...	...	-6.60	...	-6.60	-5.92	...	-5.92
जोड़		...	...	...	...	...	...	<b>0.00</b>	...	<b>0.00</b>
अन्य परिवहन सेवाएं										
9. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	5054	2100.00	...	2100.00	2100.00	...	2100.00	2000.00	...	2000.00
घटाइए - वसूलियां	5054	-2100.00	...	-2100.00	-2100.00	...	-2100.00	2000.00	...	-2000.00
	7075	110.72	...	110.72	112.94	...	112.94	401.00	...	401.00
जोड़		<b>110.72</b>	...	<b>110.72</b>	<b>112.94</b>	...	<b>112.94</b>	<b>401.00</b>	...	<b>401.00</b>
10. अन्य व्यय										
10.01 विकास और योजना	3054	3.90	...	3.90	3.20	...	3.20	3.00	...	3.00
10.02 अन्य	3054	0.40	...	0.40	0.40	...	0.40	0.70	...	0.70
जोड़		<b>4.30</b>	...	<b>4.30</b>	<b>3.60</b>	...	<b>3.60</b>	<b>3.70</b>	...	<b>3.70</b>
<b>जोड़ - अन्य परिवहन सेवाएं</b>		<b>115.02</b>	...	<b>115.02</b>	<b>116.54</b>	...	<b>116.54</b>	<b>404.70</b>	...	<b>404.70</b>
11. केन्द्रीय सड़क निधि-हस्तांतरण	3054	3162.00	...	3162.00	3162.00	...	3162.00	3080.00	...	3080.00
12. राज्यों को देय पुल फीस निधि के संग्रहण की लागत	3054	...	6.00	6.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00
	3054	...	-6.00	-6.00	...	-3.00	-3.00	...	-3.00	-3.00
निवल		...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल फीस निधि से वित्तपोषित स्कीमें	5054	86.00	...	86.00	86.00	...	86.00	86.00	...	86.00
घटाइए - वसूलियां	5054	-86.00	...	-86.00	-86.00	...	-86.00	-86.00	...	-86.00
निवल		...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थाई पुल शुल्क निधि-अन्तरण	3054	...	92.00	92.00	...	92.00	92.00	...	107.00	107.00

	(करोड़ रुपए)									
	बजट 2000-2001			संशोधित 2000-2001			बजट 2001-2002			
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	13.15	...	13.15	13.15	...	13.15	3.00	...	3.00
	4552	269.00	...	269.00	269.00	...	269.00	240.00	...	240.00
जोड़	282.15	...	282.15	282.15	...	282.15	243.00	...	243.00	
<b>कुल जोड़</b>	<b>6089.49</b>	<b>1681.09</b>	<b>7770.58</b>	<b>6289.49</b>	<b>1657.32</b>	<b>7946.81</b>	<b>6880.00</b>	<b>1804.14</b>	<b>8684.14</b>	
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	13054	2210.72	3600.00	5810.72	2212.94	3600.00	5812.94	2401.00	6200.00	8601.00
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>										
1. सड़क और पुल	13054	4845.34	3600.00	8445.34	5640.27	3600.00	9240.27	5662.92	6200.00	11862.92
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य आयोजना	22552	282.15	...	282.15	282.15	...	282.15	243.00	...	243.00
1. सड़क और पुल	43601	962.00	...	962.00	367.07	...	367.07	974.08	...	974.08
<b>जोड़</b>	<b>6089.49</b>	<b>3600.00</b>	<b>9689.49</b>	<b>6289.49</b>	<b>3600.00</b>	<b>9889.49</b>	<b>6880.00</b>	<b>6200.00</b>	<b>13080.00</b>	

1. यह व्यवस्था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नौवहन मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए हैं।

2. यह व्यवस्था सीमा सड़क संगठन बोर्ड के सचिवालय पर होने वाले व्यय के लिए हैं।

3. यह व्यवस्था मुख्यतः अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, परिवहन उद्योग पर अध्ययन, प्रदूषण नियंत्रण एवं सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए हैं।

4. यह व्यवस्था दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को राहत देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर कतिपय सुविधाएं प्रदान करने के लिए है। इसमें पीड़ितों का प्राथमिक उपचार करना तथा यातायात को पुनः चालू रखने के लिए क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाना मुश्किल है।

5.1, यह व्यवस्था मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनके रखरखाव पर होने वाले व्यय हेतु की गई है। ये निर्माण कार्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा एजेंसी आधार पर तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड की जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स द्वारा भी पूरे किए जाते हैं।

5.2 इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के व्यय के लिए व्यवस्था है। निर्माणकार्यों को राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के लोक निर्माण कार्य विभाग द्वारा एजेंसी आधार पर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किया जाता है। इसमें बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए निधियां भी शामिल हैं।

6 और 7. इन प्रावधानों में सीमा सड़क विकास बोर्ड (बी.आर.डी.बी.) द्वारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों में कतिपय सामरिक महत्व की सड़कों के निर्माण के लिए राज्यों को अनुदान सहायता शामिल है।

आयोजना राशि बी.आर.डी.बी. को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के ऐसे क्षेत्र के विकास के लिए भी है। इस प्रावधान में बी.आर.डी.बी. द्वारा विकसित कतिपय सामरिक महत्व की सड़कों के लिए निधियां भी शामिल हैं।

8,9 और 13. केंद्रीय सड़क निधि को दिसम्बर, 2000 में अधिनियमित केंद्रीय सड़क अधिनियम, 2000 के अधीन पुनर्गठित किया गया है। इसमें किए गए प्रावधान का प्रयोग बेहतर आवागमन सुविधाओं के संवर्धन के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्यों की अनुमोदित योजनाओं तथा साथ ही अंतर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व की चयनित सड़कों के विकास के लिए वित्तपोषण हेतु किया जाएगा। अनुमान भारत के लोक खाते में केंद्रीय सड़क निधि के अधीन लेन-देनों से संबंधित है। यह प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) को दिए गए निवेश के लिए भी है। इसके लिए व्यय की पूर्ति केंद्रीय सड़क निधि से आहरण द्वारा की जाती है।

10,11 और 12. यह अनुमान राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल फीस निधि, जो भारत के लोक खाते में है, के अधीन किए गए लेन-देनों से संबंधित है। इस निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। इस प्रावधान में यंत्रचालित वाहनों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कतिपय स्थायी पुलों के प्रयोग के लिए लगाई गई फीस के संग्रहण लागत के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान भी शामिल है।

14. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई विभिन्न परियोजनाओं के लिए नई विदेशी सहायता का 20 प्रतिशत संगठन को प्रदान किया जाना है।

15. यह प्रावधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए है।